प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
प्र0इ0रि0सं0....235......./2024 दिनांक 22-10-2024
(I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं.
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम..धाराऐं..................................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं...
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........836...............समय........12-10 pm
(ब) अपराध घटने का दिन.........................दिनांक.........................समय.......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...............................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ....
....बीट संख्या...........................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
पुलिस थाना...जिला...................................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–**सूत्र सूचना**
(अ) नाम –
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष...
(द) राष्ट्रीयता.......................................
(य) पासपोर्ट संख्या... जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय..
(ल) पता –
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
1. श्री जयमल सिंह राठौड पुत्र श्री मान सिंह निवासी मकान न0 19 योजना सरदारपुरा,उदयपुर हाल संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर
2. श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री जयमल सिंह राठौड
3. श्री हनुत सिंह पुत्र श्री जयमल सिंह राठौड व अन्य
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड पुत्र श्री मान सिंह (PAN NUMBER- ACCPR9460P) मूल रूप से रूपाहेली कलां तहसील हुरडा जिला ब्यावर के रहने वाले हैं एवं वर्तमान में मकान न0 19 योजना सरदारपुरा,उदयपुर में परिवार सहित निवासरत है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती अनुराधा (PAN NUMBER- AHEPR5283P) के साथ होना ज्ञात हुआ है, जो एक सामान्य गृहिणी है, संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र हनुत सिंह एवं हर्षवर्धन सिंह है, संदिग्ध अधिकारी ने अपने दोनों पुत्रों को उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से अध्ययन करवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व अपने परिवारजनों के नाम से उदयपुर, राजसमन्द व अन्य स्थानों पर विभिन्न परिसम्पतियां खरीद करना ज्ञात हुआ है। विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है व राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है, जो संदिग्ध अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी ने राजकाज पोर्टल पर स्वयं द्वारा दिनांक 13.01.2024 को आईपीआर में कुल 2 परिसम्पत्तियों का विवरण अंकित किया है व दिनांक 18.07.2024 को 5 परिसम्पत्तियों का विवरण अंकित किया है। ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम आईपीआर में अंकित परिसम्पत्तियों के अलावा भी खरीद की गई, जिनका विवरण स्वयं की आईपीआर में दर्शित नहीं किया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से आय के ज्ञात स्त्रोतों से भिन्न अर्जित धन का दुरूपयोग का सटीक उदाहरण है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती अनुराधा द्वारा अपनी वार्षिक आयकर विवरणिका में अपने निवास स्थान मकान नम्बर 19, योजना सरदारपुरा, उदयपुर पर स्पाइस कल्चर रेस्टोरेन्ट संचालित करने से आय प्राप्त करना दर्शाया गया है, परन्तु मौके पर भौतिक रूप से उक्त निवास स्थान पर स्पाइस कल्चर नाम से कोई साईन बोर्ड/पोस्टर दर्शित नही है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती अनुराधा व बडे पुत्र श्री हनुत सिंह के नाम से होटल जय विलास एण्ड रिसोर्ट को मेफेयर ग्रुप को लीज पर दिया जाना जानकारी से सामने आया है, परन्तु मौके पर भौतिक रूप से उक्त होटल जय विलास/मेफेयर के नाम से संचालित न होकर उक्त रिसोर्ट मान विलास के नाम से संचालित है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने बडे पुत्र श्री हनुत सिंह एवं पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम से भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध धन से उदयपुर एवं जिला राजसमन्द में परिसम्पतियों को खरीद कर निवेश किया जाना जानकारी से सामने आया है।

संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संद्रिग्ध अधिकारी राजकीय सेवा में वर्ष 1993 में नियुक्त होकर वर्तमान में संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर के पद पर कार्यरत है।

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं स्वयं के परिजनो के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का गोपनीय रूप से विभिन्न राजकीय उपक्रमों/सोसायटी एवं बैंक आदि से जानकारी की जाकर सत्यापन किया गया है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी के परिजनों द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

परिशिष्ट ''अ''

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्रं सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	––

परिशिष्ट ''ब''

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर व परिवारजनों के नाम से सेवाकाल चैक पिरियड सेवा वर्ष 1993 से सर्च दिनांक तक अर्जित परिसम्पतियॉः–

क्रं सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड के नाम भूखण्ड संख्या 19 क्षेत्रफल 2040 वर्गफीट, योजना सरदारपुरा, उदयपुर में स्थित है, उक्त भूखण्ड का पटटा एस0ओ0 द्वारा नगर निगम उदयपुर से दिनांक 05.10.2023 को बनवाया जाकर उप पंजीयक उदयपुर प्रथम से दिनांक 04.04.2024 को रजिस्टर्ड करवाया गया, उस समय उक्त भूखण्ड में निर्माण था। विद्युत कनेक्शन वर्ष 2009 से 2012 के मध्य होना जानकारी से सामने आया है, वर्तमान में उक्त भूखण्ड में स्थित आवासीय मकान का विधुत बिल जयमल सिंह राठौड़ के स्वयं के नाम से है। उक्त भूखण्ड सरदारपुरा योजना स्कीम में स्थित होने से सम्बन्धित एस0आर0 कार्यालय से वर्ष 2008–2012 तक की डीएलसी दर प्राप्त की गई, तो उक्त भूखण्ड की खरीद राशि 2040 × 1300 = 26,52,000 रूपये होना अनुमानित है। एस0ओ0 द्वारा उक्त भूखण्ड में दो मंजिला आवासीय मकान 4000 वर्गफुट में निर्माण करवाया गया, जिस पर तत्कालीन अनुमानित निर्माण लागत दर 800 रूपये के हिसाब से 4000× 800= 32,00,000 रूपये व्यय करना ज्ञात हुआ। उक्त भूखण्ड में एस0ओ0 की पत्नि श्रीमती अनुराधा द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में SPICE CULTURE के नाम से एक रेस्टोरेन्ट चलाना अंकित है, जबकि मौके पर उक्त मकान में ऐसी कोई फर्म/संस्था का कोई साईन बोर्ड/विज्ञापन वगैराह नही होना जानकारी से सामने आया। उक्त भूखण्ड की खरीद, मकान निर्माण एवमं पटटा रजिस्टर्ड पर कुल खर्च 58,52,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	58,52,000/– रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह के नाम ग्राम सीसारमा तहसील गिरवा उदयपुर में आबादी भूखण्ड क्षेत्रफल 2268 वर्गफुट दिनांक 03.09.2009 को जरिये रजिस्ट्री धारा 54 के तहत 4,49,064/–रूपये व स्टाम्प डयूटी 22,160/–रूपये में खरीद किया गया व उक्त भूखण्ड पर कुल 4,71,224/–रूपये व्यय करने का अनुमान है।	4,71,224/– रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह के नाम ग्राम सीसारमा तहसील गिरवा उदयपुर में आबादी भूखण्ड क्षैत्रफल 1350 वर्गफुट दिनांक 03.09.2009 को जरिये रजिस्ट्री धारा 54 के तहत 2,67,300/–रूपये व स्टाम्प डयूटी 11,250/–रूपये में	2,78,550/– रूपये

	खरीद किया गया व उक्त भूखण्ड पर कुल 2,78,550/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा द्वारा श्रीनारायण लाल से ग्राम सीसारमा तहसील गिरवा उदयपुर में ख0 न0 1744 से 1748, 1752 से 1758 कुल रकबा 1.8250 हैक्टे0 का 1/10 हिस्सा तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर में दिनांक 27.09. 2010 को जरिये रजिस्ट्री धारा 54 के तहत 6,50,579/-रूपये व स्टाम्प डयूटी 22840/-रूपये में खरीद किया गया व उक्त भूमि पर कुल 6,73,419/-रूपये व्यय करने का अनुमान है।	6,73,419/-रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा द्वारा श्री गणेश लाल से ग्राम सीसारमा तहसील गिरवा उदयपुर में ख0 न0 1744 से 1748, 1752 से 1758 कुल रकबा 1.8250 हैक्टे0 का 1/10 हिस्सा तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर में दिनांक 28.09. 2010 को जरिये रजिस्ट्री धारा 54 के तहत 6,50,579/-रूपये व स्टाम्प डयूटी 22840/-रूपये में खरीद किया गया व उक्त भूमि पर कुल 6,73,419/-रूपये व्यय करने का अनुमान है।	6,73,419/-रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम ग्राम मचीन्द, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में दिनांक 23.05.2012 को आवासीय भूमि खसरा संख्या 5012/1768 रकबा 1833.67 वर्गमीटर भूमि पर जरिये रजिस्ट्री धारा 54 के तहत 13,42,193/-रूपये व स्टाम्प डयूटी 27,790/-रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ, उक्त परिसम्पति पर कुल खर्च के रूप में 13,69,983/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	13,69,983/- रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम ग्राम मचीन्द, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में दिनांक 23.05.2012 को आवासीय भूमि खसरा संख्या 5572 रकबा 1960.13 वर्गमीटर भूमि पर जरिये रजिस्ट्री धारा 54 के तहत 14,34,758/-रूपये व स्टाम्प डयूटी 27,780/-रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ, उक्त परिसम्पति पर कुल खर्च के रूप में 14,62,538/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	14,62,538/- रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह द्वारा अपनी माता श्रीमती गोपाल कंवर के नामसे दिनांक 23.05.2012 को ग्राम मचीन्द, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में आवासीय भूमि जिनके खसरा नम्बर 5291/1768 रकबा 0.17 बिस्वां अर्थात 2149.89 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्ट्री उप पंजीयक खमनोर में दिनांक 23.05.2012 को धारा 54 के तहत मालियत 15,73,605/-रूपये मय स्टाम्प डयूटी 62950/-रूपये व खसरा नम्बर 5290/1768 रकबा 0.16.10 बिस्वां अर्थात 2086. 59 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्ट्री उपपंजीयक खमनोर में दिनांक 23.05.2012 को धारा 54 के तहत मालियत	49,57,798/- रूपये

	15,27,303/—रूपये मय स्टाम्प डयूटी 61100/—रूपये खसरा नम्बर 5292/1768 रकबा 0.18 बिस्वां अर्थात 2276.28 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्ट्री उप पंजीयक खमनोर में दिनांक 23.05.2012 को धारा 54 के तहत मालियत 16,66,170/—रूपये मय स्टाम्प डयूटी 66650/—रूपये में खरीद की गई, उक्त खसरों की भूमि पर धारा 54 के तहत कुल खर्च के रूप में 49,57,798/—रूपये व्यय किये गये। तत्पश्चात एस0ओ0 द्वारा उक्त भूमि का हक त्याग अपनी बहनों से तहसील खमनोर में स्वयं के पक्ष में करवाया गया व दिनांक 21.10.2021 को स्वयं द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि को एस0आर0 खमनोर से अपनी पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम गिफ्ट डीड करवाई गई। इस प्रकार एस0ओ0 द्वारा उक्त परिसम्पति पर कुल 49,57,798/—रूपये व्यय किये जाने का अनुमान है। नोट— उक्त भूमि पर एस0ओ0 द्वारा अपनी पत्नि के नाम से घरेलू विद्युत कनेक्शन ले रखा है।	
9	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम आवासीय प्लॉट संख्या 38,38ए 4000 वर्गफीट ग्राम सीसारमा ख0 न0 2261,2263,2267 कुल रकबा 1.4500 हैक्ट0 का 1/45 हिस्सा तह0 गिरवा जिला उदयपुर में दिनांक 24.09.2019 को जरिये रजिस्ट्री धारा 54 के तहत 21,56,920/—रूपये व स्टाम्प डयूटी 1,25,106/—रू0 में खरीद किया गया व उक्त आवासीय प्लॉट में खर्च करने पर कुल 22,82,026/—रूपये व्यय करने का अनुमान है।	22,82,026/—रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा व पुत्र हनुत सिंह के नाम एक जय विलास हॉटल एण्ड रिसोर्ट क्षेत्रफल 7062. 50 वर्गफीट, प्लॉट नम्बर 20ए, ग्राम सीसारमा तह0 गिरवा जिला उदयपुर में ख0न0 2261से2271,2264/5456 में स्थित है, जिसका एस0ओ0 द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से दिनांक 08.10.2008 को पटटा बनवाया जाकर पटटा खर्च के रूप में 1,19,437/—रूपये व्यय किये गये, तत्पश्चात दिनांक 28.06.2022 को विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया जाकर विधुत कनेक्शन लिया गया। उक्त सम्पति को दिनांक 07.11. 2022 को Mayfair Resort India LTD. को लीज पर दिया जाना ज्ञात हुआ है। उक्त रिसोर्ट की लीज डीड के दौरान उप पंजीयक उदयपुर प्रथम द्वारा उक्त लेख पत्र की मालियत धारा 54 के तहत 3,37,31,175/—रूपये मानते हुए दिनांक 07.11.2022 को रजिस्टर्ड किया, एवं स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 2,52,990/—रूपये व्यय करना ज्ञात हुआ। अतः उक्त सम्पति पर कुल खर्च के रूप में 3,41,03,602/—रूपये व्यय करना अनुमानित है। नोटः—उक्त खसरा की भूमि पर वर्तमान में जय विलास हॉटल एण्ड रिसोर्ट की जगह मान विलास रिसोर्ट संचालित है, जो मौका नजरी मुआयना व विश्वस्त सूत्रों से जानकारी से सामने	3,41,03,602/— रूपये

	आया है, कि उक्त रिसोर्ट के निर्माण, आन्तरिक साज–सज्जा से रिसोर्ट की कीमत दोगुनी होना प्रतीत होता है, जो अनुसंधान के दौरान विशेषज्ञ से उक्त रिसोर्ट की निर्माण की सही लागत ज्ञात करवाया जाना उचित रहेगा।	
11	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हनुत सिंह के नाम एक दुपहिया वाहन टीवीएस अपाचे, आर0जे0 27 जेएस 8389 (मोडल नम्बर 2014) लगभग 95,000 /–रूपये में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन दिनांक 18.08.2014 को खरीद कर आर.सी ऑनर फर्स्ट पार्टी है।	95,000/–रूपये
12	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम एक चौपहिया वाहन मारूति एस क्रोस अल्फा, आर0जे0 27 सीई 6970 (मोडल नम्बर 2016) लगभग.11,50,000/–रूपये में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन दिनांक 18. 01.2016 को खरीद कर आर.सी ऑनर फर्स्ट पार्टी है।	11,50,000/–रूपये
13	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम एक चौपहिया वाहन मारूति इगनिस डेल्टा डीजल, आर0जे0 27 सीजी 1681 (मोडल नम्बर 2017) लगभग 6,25,000/–रूपये में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन दिनांक 09.12.2017 को खरीद कर आर.सी ऑनर फर्स्ट पार्टी है।	6,25,000 /–रूपये
14.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हर्षवर्धन सिंह के नाम एक दुपहिया वाहन टीवीएस एक्टिवा, आर0जे0 27 बीएफ 3538 (मोडल नम्बर 2017) लगभग 51000/–रूपये में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन दिनांक 26.04.2017 को खरीद कर आर.सी ऑनर फर्स्ट पार्टी है।	51,000/– रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हनुत सिंह के नाम एक चौपहिया वाहन महिन्द्रा एक्सयूवी 300, आर0जे0 27 सीएल 4604 (मोडल नम्बर 2022) लगभग 13,50,000/–रूपये में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन दिनांक 07.10.2022 को खरीद कर आर.सी ऑनर फर्स्ट पार्टी है।	13,50,000/– रूपये
16	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र हनुत सिंह के नाम एक चौपहिया वाहन किया सेल्टोस, आर0जे0 27 सीएम 8854 (मोडल नम्बर 2024) लगभग 20,00,000/– रूपये में खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन दिनांक 25.01.2024 को खरीद कर आर.सी ऑनर फर्स्ट पार्टी है।	20,00,000/– रूपये
17.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड के नाम राज0 मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में Gen-pub-ind-nonrural खाता संख्या 83070244164 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 09.10.2024 को शेष बैलेंस 5,348/रूपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	5,348/– रूपये
18.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड के नाम बैंक ऑफ बडौदा रूपाहेली भीलवाडा में sb-Gen खाता संख्या 01370100006133 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 08.10.	39,718/–रूपये

	2024 को शेष बैलेंस 39,718 / रूपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	
19.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड के नाम बैंक ऑफ बडौदा रूपाहेली भीलवाडा में sb-Gen खाता संख्या 14950100000388 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 08.10. 2024 को शेष बैलेंस 18,389 / रूपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	18,389 / – रूपये
20.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड एवं पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम जोईन्ट खाता युनियन बैंक ऑफ इण्डिया उदयपुर में sb-Gen खाता संख्या 760202010000054 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 09.10.2024 को शेष बैलेंस 38,778 / रूपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	38,778 / – रूपये
21	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड के नाम बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 668110100002574 होना ज्ञात हुआ है। जो वर्तमान में डोरमेन्ट मोड पर होना जानकारी से ज्ञात हुआ है।	---
22	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 51103709329 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 09.10.2024 को 1,93,682 / – रूपये शेष बैलेन्स है।	1,93,682 / –रूपये
23	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड के नाम बैंक ऑफ बडौदा रूपाहेली भीलवाडा में खाता संख्या 14950500000576 में सीसी लिमिट खाता संख्या होना ज्ञात हुआ है, जो दिनांक 15.06.2021 से बन्द है।	---
24	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड व पुत्र श्री हनुतसिंह राठौड के नाम उदयपुर मे JAI VILAS HOTEL AND RESORT है, उक्त जयविलास हॉटल एण्ड रिसोर्ट के नाम से खाता,राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में खाता संख्या 83063081059CA-GEN-PUB-OTH-NonRural-INR होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 09.10.2024 को शेष बैलेंस 4,87,614 / –रूपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	4,87,614 / – रूपये
25	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 668110100007808 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 09.10.2024 को 15,088 / – रूपये शेष बैलेन्स है।	15,088 / – रूपये
26	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हनुत सिंह के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 674201504957 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 09.10.2024 को शेष बैलेंस 99,934 / –रूपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	99,934 / –रूपये
27	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हनुत सिंह के नाम राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक में खाता संख्या 0000083082094101 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शून्य बैलेंस होना सूत्रों से ज्ञात	-----

	हुआ है।	
28	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह के नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 762701501374 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 09.10.2024 को शेष बैलेंस 4961/रूपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	4961/– रूपये
कुल योग		5,82,99,071/– रूपये

परिशिष्ट ''स''

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड,संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर व पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड व पुत्र श्री हनुत सिंह की चैक पिरियड वर्ष 1993 से सर्च दिनांक तक प्राप्त कुल आयः–

क्रं सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	शुद्ध आय
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड द्वारा अपने सेवाकाल (चैक पिरियड) वर्ष 1993 से चैक अवधि तक आयकर कटौती के पश्चात शुद्ध आय 1,35,70,260/–रूपये आय होने का अनुमान है।	1,35,70,260/–रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती अनुराधा राठौड द्वारा अपनी आय का स्त्रोत Spice Culture रेस्टोरेन्ट व होटल मान विलास रिसोर्ट को अन्य संस्था Mayfair Resorts को लीज पर देने से प्रतिमाह मासिक आय होना अंकित किया है, आयकर विवरणिका वर्ष 2024–25 तक आयकर कटौती के पश्चात शुद्ध आय 77,61,811/–रूपये आय होने का अनुमान है।	77,61,811/–रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री हनुत सिंह द्वारा आयकर विवरणिका वर्ष 2024–25 तक तुलसी रिसोर्ट सेलेरी, व्यापार एण्ड अन्य इनकम टयूशन आदि से आयकर कटौती के पश्चात शुद्ध आय 23,82,550/–रूपये होने का अनुमान है।	23,82,550/–रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती अनुराधा राठौड के नाम दिनांक 28.09.2015 को कृषि भूमि ख0न0 2420, क्षैत्रफल 1.6000 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा गजेन्द्र जैन से ग्राम नोहरा तह0 गिरवा जिला उदयपुर में जरिये रजिस्ट्री 13,70,000/–रूपये एवं कृषि भूमि ख0न0 2420, क्षैत्रफल 1.6000 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा राजेश जैन से ग्राम नोहरा तह0 गिरवा जिला उदयपुर में जरिये रजिस्ट्री 13,70,000/–रूपये में खरीद किया गया, व उक्त दोनो रजिस्ट्री की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 1,09,640 /– रूपये व्यय किये, उक्त परिसम्पति पर कुल खर्च के रूप में 28,49,640/– रूपये व्यय करने का अनुमान है। तत्पश्चात उक्त खरीद शुदा कृषि भूमि, खसरा नम्बर 2420 रकबा 1.6000 हैक्टेयर के सम्पूर्ण हिस्सा को जरिये रजिस्ट्री	21,02,360/–रूपये

	दिनांक 30.08.2018 को 49,52,000/–रूपये में बेचान कर दिया, जिससे उक्त भूमि विक्रय करने के उपरान्त एसओ को 21,02,360/–रूपये की आय होने का अनुमान है।	
5.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड के पिता मान सिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि, ख0न0 179 रकबा 2.7519 हैक्टे0 ग्राम आपलियावास तह0 हुरडा जिला भीलवाडा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 25.08.2021 को 15,00,000/– रूपये में बेचान कर दिया, जिससे उक्त भूमि विक्रय करने के उपरान्त एसओ को 15,00,000/–रूपये की आय होने का अनुमान है।	15,00,000/–रूपये
6.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड के पिता मान सिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 1111,1118 रकबा 6.0541 हैक्टे0 ग्राम चेनपुरिया तह0 हुरडा जिला भीलवाडा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16.11.2022 को 14,04,000/– रूपये में बेचान कर दिया, जिससे उक्त भूमि विक्रय करने के उपरान्त एसओ को 14,04,000/–रूपये की आय होने का अनुमान है।	14,04,000/–रूपये
7.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड के पिता मान सिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 1216/1118 रकबा 2.0802 हैक्टे0 ग्राम चेनपुरिया तह0 हुरडा जिला भीलवाडा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 11.12.2023 को 40,5,000/– रूपये में बेचांन कर दिया, जिससे उक्त भूमि विक्रय करने के उपरान्त एसओ को 4,05,000/–रूपये की आय होने का अनुमान है।	4,05,000/–रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड के पिता मान सिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 1013,1014,1015,1016,1017,1018 रकबा 2.3877 हैक्टे0 ग्राम चेनपुरिया तह0 हुरडा जिला भीलवाडा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 11.12.2023 को 13,70,000/– रूपये में बेचान कर दिया, जिससे उक्त भूमि विक्रय करने के उपरान्त एसओ को 13,70,000/–रूपये की आय होने का अनुमान है।	13,70,000/–रूपये
9.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड व पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में होम लोन खाता संख्या 83059917034TL-RMGB दिनांक 02.08.2019 को 13,00,000/रूपये का होम लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की होम लोन के रूप में 13,00,000/रूपये आय होना अनुमानित है।	13,00,000/रूपये
10.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड व पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में होम टॉपअप लोन खाता संख्या 83084603094TL-RMGB HOME TOP-UP LOAN दिनांक 15.02.2023 को 35,00,000/रूपये का होम टॉपअप लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की HOME TOP-UP LOANलोन के रूप में 35,00,000/रूपये आय होना अनुमानित है।	35,00,000/रूपये
11.	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड व पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में होम टॉपअप लोन खाता संख्या 83070244346TL-RMGB HOME TOP-UP LOAN	47,00,000/रूपये

	दिनांक 20.01.2021 को 47,00,000 / रूपये का होम टॉपअप लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की HOME TOP-UP LOAN लोन के रूप में 47,00,000 / रूपये आय होना अनुमानित है।	
12	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड पार्टनर पुत्र हनुतसिंह राठौड के नाम उदयपुर मे JAI VILAS HOTEL AND RESORT है, जिसके नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में 97,50,000 / – रूपये का लिमिट लोन खाता संख्या 83063136838 TL-SME-SARAL LOAN लेना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 26.02.2020 से दिनांक 09.10.2024 तक डेबिट केडिट के पश्चात 69,54,426 / –रूपये आय होना अनुमानित है।	69,54,426 / रूपये
13	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड व पुत्र श्री हनुतसिंह राठौड के नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में जोईन्ट खाता संख्या 83090550846TL-RMGB-CAR LOAN है, जिनके द्वारा दिनांक 24.01.2024 को 16,00,000 / – लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की CAR LOAN लोन के रूप में 16,00,000 / –रूपये आय होना अनुमानित है।	16,00,000 / रूपये
14	संदिग्ध अधिकारी का पुत्र श्री हनुतसिंह राठौड के नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में खाता संख्या 83082100069TL-RMGB-CAR LOAN है, जिसके द्वारा दिनांक 01.10.2022 को 12,00,000 / – लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की CAR LOAN लोन के रूप में 12,00,000 / –रूपये आय होना अनुमानित है।	12,00,000 / रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड पार्टनर श्री हनुतसिंह राठौड के नाम उदयपुर मे JAI VILAS HOTEL AND RESORT है, जिनके नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में 4,80,000 / – रूपये का लिमिट लोन खाता संख्या 83068476927 GECL-Guarnt EmrgncCr Lin होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 12.10.2020 से दिनांक 09.10.2024 तक डेबिट केडिट के पश्चात 304 / –रूपये आय होना अनुमानित है।	304 / – रूपये
16	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में 19,96,300 / – रूपये का लिमिट लोन खाता संख्या 00000830660273221 OD-MOTRGAGE REDUCING DP होना ज्ञात हुआ है। जिसमें दिनांक 12.08.2019 से दिनांक 09.10.2024 तक डेबिट केडिट के पश्चात 18,44,829 / –रूपये आय होना अनुमानित है।	18,44,829 / – रूपये
	कुल योग	5,15,95,540 / – रूपये

परिशिष्ट ''द''

संदिग्ध अधिकारी श्रीजयमलसिंह राठौड, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर व परिवारजनों द्वारा चैक पिरियड वर्ष 1993 से सर्च दिनांक तक किए गए व्यय का विवरण

:-

क्रं सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह द्वारा चैक अवधि वर्ष 1993 से 2024 तक परिवार का नियमानुसार अनुमानित अर्जित आय का एक तिहाई भाग 44,78,185/- रूपये असत्यापनिक व्यय करने का अनुमान है।	44,78,185/-रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह द्वारा चैक अवधि में अपने दोनों पुत्रों को उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से अध्ययन करवाना जानकारी से सामने आया है, दोनो पुत्रों की शिक्षा पर लगभग अनुमानित 20,00,000/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	20,00,000/-रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह द्वारा अपने बडे पुत्र श्री हनुत सिंह की शादी करना गोपनीय सूत्रों से जानकारी से सामने आया है, जिसमें करीब 25,00000/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	25,00000/- रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह द्वारा चैक अवधि 1993 से चैक अवधि तक दैनिक उपयोग के कार्यों में लिये जा रहे चौपहिया वाहन किया सेल्टोस, मारूति एक्सयूवी 300, मारूति इगनिस, मारूति एस कोस अल्फा व दुपहिया वाहन मोटर साईकिल टीवीएस अपाचे, टीवीएस स्कूटी आदि के ईंधन (डीजल/पेट्रोल), बीमा, इन्श्योरेन्स एवं मेन्टेनेन्स आदि पर लगभग 18,00,000/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	18,00,000/- रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड व पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में होम लोन खाता संख्या 83059917034TL-RMGB दिनांक 02.08.2019 को 13,00,000/रूपये का होम लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे दिनांक 8.10.2024 तक एस0ओ0 द्वारा किश्त मय ब्याज के रूप में 7,17,869/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	7,17,869/- रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड व पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में होम टॉपअप लोन खाता संख्या 83084603094 TL-RMGB HOME TOP-UP LOAN दिनांक 15.02.2023 को 35,00,000/रूपये का होम टॉपअप लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे एस0ओ0 द्वारा किश्त मय ब्याज के रूप में 8,89,016/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	8,89,016/-रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी श्री जयमलसिंह राठौड व पत्नि श्रीमती अनुराधा के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में होम टॉपअप लोन खाता संख्या 83070244346 TL-RMGB HOME TOP-UP LOAN दिनांक 20.01.2021 को 47,00,000/रूपये का होम टॉपअप लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे एस0ओ0 द्वारा किश्त मय ब्याज के रूप में 23,85,367/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।	23,85,367/-रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड पार्टनर पुत्र	38,74,227/-रूपये

	हनुतसिंह राठौड के नाम उदयपुर मे JAI VILAS HOTEL AND RESORT है, जिसके नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में खाता संख्या 83063136838TL-SME-SARAL LOAN लेना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे एस0ओ0 द्वारा दिनांक 26.02.2020 से दिनांक 09.10.2024 तक ब्याज के रूप में 38,74,227/– रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
9	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड व पुत्र श्री हनुतसिंह राठौड के नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में जोईन्ट खाता संख्या 83090550846TL-RMGB-CAR LOAN है, जिनके द्वारा दिनांक 24.01.2024 को 16,00,000/– लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे एस0ओ0 द्वारा दिनांक 05.10.2024 तक किश्त मय ब्याज के रूप में 2,30,400/– रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,30,400/–रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी का पुत्र श्री हनुतसिंह के नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में खाता संख्या 83082100069TL-RMGB-CAR LOAN है, जिसके द्वारा दिनांक 01.10.2022 को 12,00,000/– लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे एस0ओ0 द्वारा दिनांक तक 09.10.2024 तक किश्त मय ब्याज के रूप में 5,35,811/– रूपये व्यय करने का अनुमान है।	5,35,811/–रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड के नाम राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में 19,96,300/– रूपये का लिमिट लोन खाता संख्या 00000830660273221 OD-MOTRGAGE REDUCING DP में होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे एस0ओ0 द्वारा दिनांक 19.08.2019 से दिनांक 09.10.2024 तक ब्याज के रूप में 12,84,785/–रूपये व्यय करने का अनुमान है।	12,84,785/– रूपये
12	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती अनुराधा राठौड पार्टनर श्री हनुतसिंह राठौड के नाम उदयपुर मे JAI VILAS HOTEL AND RESORT है, जिनके नाम से राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक उदयपुर में 4,80,000/– रूपये का लिमिट लोन खाता संख्या 83068476927 GECL-Guarnt EmrgncCr Lin होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते मे एस0ओ0 द्वारा दिनांक 12.10.2020 से दिनांक 09.10.2024 तक ब्याज के रूप में 95,617/– रूपये व्यय करने का अनुमान है।	95,617/– रूपये
	कुल योग	2,07,91,277/–रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1993 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1993 से खाना तलाशी दिनांक तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिवारजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 5,82,99,071/रूपये अनुमानित है।

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1993 से खाना तलाशी दिनांक तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट ''स'' मे दर्शाया गया है। प्रपत्र ''स'' के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके परिवारजनों की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय लगभग **5,15,95,540** / रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1993 से खाना तलाशी दिनांक तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट ''द'' मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल **2,07,91,277** / रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री जयमल सिंह राठौड व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी व पुत्र हनुत सिंह द्वारा चैक अवधि 1993 से खाना तलाशी दिनांक तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 5,15,95,540 / रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 5,82,99,071 / रूपये एवं व्यय राशि 2,07,91,277 / रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 7,90,90,348 / रूपये में से उपरोक्त आय 5,15,95,540 / रूपये को घटाने पर 2,74,94,808 / रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 53.28 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न (1) मकान नं. 19, योजना सरदारपुरा, उदयपुर (2) होटल मान विलास रिसोर्ट (जय विलास होटल एण्ड रिसोर्ट) सीसारमा तहसील गिरवा,उदयपुर (3) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय कक्ष– कार्यालय संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी 1. श्री जयमल सिंह राठौड पुत्र श्री मान सिंह निवासी मकान न0 19 योजना सरदारपुरा,उदयपुर हाल संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर 2. श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री जयमल सिंह राठौड एवं 3. श्री हनुत सिंह पुत्र श्री जयमल सिंह राठौड व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(सरोज धायल)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सरोज धायल पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री जयमल सिंह राठौड पुत्र श्री मान सिंह निवासी मकान न0 19 योजना सरदारपुरा,उदयपुर हाल संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर 2. श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री जयमल सिंह राठौड एवं 3. श्री हनुत सिंह पुत्र श्री जयमल सिंह राठौड व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या **235/2024** उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री अनन्त कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

22/10/24

(राहुल कोटोकी)
उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 1272–1275 दिनांक :– 22.10.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,उदयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर
4. श्री अनन्त कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर।

(राहुल कोटोकी)
उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर